राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4312/2022

महेश कुमार कपूर

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	07.09.2022
आदेश की दिनांक	:	28.10.2022

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवारी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी शारीरिक शिक्षा अध्यापक (पीईटी) ग्रेड द्वितीय के पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जुल्मी कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पगारिया झालावाड़ में किया गया है। उनका यह तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी का स्थानांरतण नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि आदेश दिनांक 20.06.2017 के द्वारा निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) रामगंजमंडी द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त रूप से

बीएलओ नियुक्त किया था। वर्तमान में निर्वाचन विभाग के आदेश दिनांक 08.08.2022 के द्वारा निर्वाचन विभाग के पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ को वर्तमान स्थान से दिसंबर, 2022 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना हटाये नहीं जाने के निर्देश दिये है। प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश के विरूद्ध जाकर आलोच्य आदेश पारित किये गए है। अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार की जाने व आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

3. हमनें विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया।

4. निवार्चन विभाग का जो आदेश दिनांक 08.08.2022 का संदर्भ अपीलार्थी ने दिया है, उस संबंध में अधिकरण के समक्ष प्रशासनिक सुधार विभाग का आदेश 12.09.2022 व निर्वाचन विभाग का पत्र दिनांक 14.09.2022 अधिकरण के ध्यान में लाया गया है, जिसमें बीएलओ के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियोंके स्थानांतरणों पर दिनांक 09.11.2022 से 05.01.2023 तक की अवधि में स्थानांतरण किये जाने पर प्रतिबंध के आदेश है। अतः उक्त आदेश में प्रतिबंध की प्रति दिनांक 09.11.2022 से 05.01.2023 तक की अवधि होने से आलोच्य आदेश दिनांक 29. 08.2022 (अनुलग्नक–1) के संबंध में यह प्रासंगिक नहीं है। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण को सुने बिना आलोच्य आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाकर एक पक्षीय अंतरिम स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपील को ग्राह्य करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण को नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रत्यर्थीगण को दिनांक............... ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

5. अपीलार्थी अथवा उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा दो सप्ताह में प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये

जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावे।

6. पत्रावली दिनांक 28.10.2022 वास्ते ग्राह्यता जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

7. आदेश आज दिनांक 28.10.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया ।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनंत भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)